

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

मो० मोती

वनाम

अली हुसैन

वाद संख्या-29/2013-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

18.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा नरकटिया थाना नं०-424 अंचल किरतपुर जिला दरभंगा

खाता	खेसरा	सम्पूर्ण रकवा	मौग रकवा	चौहददी
83 पु०	350 पु०	2 बी० 6 कटठा	1/6	उ०-नवीजान
42 नया	316 नया			द०-नदी
45 नया	315 नया			पु०-फरजनमोमीन प०-शौखी मोमीन

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक को पैतृक धरोहर सम्पत्ति है जो उनके स्व० पिता एवं उनके पौंच सहोदर भाई अपने जीवनकाल में वर्ष 1954 में विक्रेता कलर मलाह पिता अमरित मलाह साकिन जगसो थाना जमालपुर जिला दरभंगा से निबंधित दस्तावेज संख्या-7765 दिनांक 15.09.1954 ई० द्वारा हासिल किये और दखल कब्जा में आये जिस पर वर्तमान में क्रेतागणों के वंशज अर्थात् उभय पक्ष का अपने अपने हिस्सा अनुसार शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है जिसका जमाबंदी संख्या 58/66 चल रही है तथा अद्यतन राजस्व रसीद प्राप्त है। आवेदक को मद नं० 1 की भूमि के अपने हिस्सा अनुसार संगत कागजात प्राप्त है एवं हाल सर्वे खतियान भी उस भूमि का उनके नाम प्रकाशित किया गया परंतु सर्वे आमलाओ के भूलवश खतियान में रकवा इन्द्राज एवं मानचित्र में रकवा के रेखांकन त्रुटिपूर्ण हो गया है जो आवेदक के अधिकार को विक्षुब्ध कर रहा है लिहाजा खतियान में सही रकवा वो मानचित्र रेखांकन आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पुराना खेसरा 350 से नया खेसरा कमशः 315, एवं 316 निर्मित हुआ है हाल खेसरा 316 का रकवा 67 डि० सभी क्रेतागणों के

नाम अंश समान हाल खतियान में प्रकाशित हुआ है जो निबंधित दस्तावेज में अंकित रकवा के अनुरूप कम है जबकि हाल खेसरा 315 का रकवा 32 डि० हाल खतियान में अंकित है जो मात्र एक हिस्सेदार गुलजार के नाम प्रकाशित हुआ है जो स्थल पर विवाद का मूल कारण बना है। उल्लेखित करना है कि केवाला से हासिल वाद भूमि पुराना खेसरा 350 का रकवा 2 बीघा 16 कटठा है तदनुरूप हाल खेसरा 316 के मानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेख में भी की गई प्रविष्टी में रकवा वो मानचित्र का संशोधन अथवा हाल खेसरा 315 के स्वत्वाधिकार अभिलेख में की गई मात्र एक हिस्सेदार का नाम के प्रविष्टी के अलावे अन्य पाँच हिस्सेदार तथा आवेदक एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की भी प्रविष्टी वाद भूमि के स्वामित्व एवं दखल कब्जा के समर्थन में बांछित प्रमाणों के आलोक में विज्ञ न्यायालय से अधिनियम के अनुरूप न्याय निर्णय पारित किया जाना अनुमान्य है जो विज्ञ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। हाल खेसरा 315 रकवा 32 डि० के स्वत्वाधिकार अभिलेख में त्रुटिपूर्ण अंकित नाम के फलस्वरूप प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पिता तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पिता अपने जीवन काल में सर्वे के सक्षम स्तर से हाल खतियान में सभी हिस्सेदार का नाम अंश समान करके दर्ज करने हेतु हकियत वाद संख्या 642/94 दायर कर याचना किये थे परंतु वाद स्थगित कर दिया गया चुकि वादीगण समय से उक्त वाद में उचित पैरफ़ी नहीं कर सके। वाद भूमि प्लॉट के उत्तर भाग में से आवेदक को आपसी बटवारा के आधार पर सम्पूर्ण रकवा के छठवें भाग पर स्वामित्व वो शांतिपूर्ण दखल कब्जा पिता के जीवनकाल से ही अद्यतन स्थापित है तथा कमशः अन्य हिस्सेदार को भी अपने अपने हिस्सा अनुसार वाद भूमि पर दखल कब्जा अनवरत रूप से चला आ रहा है। परंतु हाल खेसरा 315 के संपूर्ण रकवा का संधारण मात्र प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पिता के नाम हो जाने से संबंधित जमीनी कागजात देखने के फलस्वरूप मिले जानकारी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 30.04.2013 को हाल खतियान के आधार पर वाद भूमि पर अवैध रूप से दावा करने के फलस्वरूप आवेदक ने यह वाद दायर किया।

दूसरी तरफ प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उभय पक्षों के पिता के नाम से निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है एवं आपसी बटवारा कर प्रतिवादी के हिस्से वो दखल कब्जा एवं उपभोग में चला आ रहा है एवं राजस्व देकर अद्यतन राजस्व रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। हाल सर्वे अमला ने सर्वे के दरम्यान दखल कब्जा एवं सुसंगत कागजात पाया फलस्वरूप उनके नाम से सही में हाल खाता खुला एवं प्रकाशन वर्ष 1994 में किया गया जो बिल्कुल सही है अगर वादी उससे विक्षुब्ध थे तो उन्हें धारा 106 बी० टी० एक्ट के तहत वाद दायर करना चाहिए था। पुराना खेसरा 350 से नया खेसरा कमशः 294, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 बना है जिसका रकवा भिन्न भिन्न है। हाल खेसरा 315 में प्रतिवादीगणों का अवासीय मकान मय सहन पाया जो प्रतिवादी की खास हिस्से की भूमि है जिससे वादी के कोई मतलब वो सरोकार न था न है। अतः हाल खेसरा 315 का हाल खाता सही वो सत्य बना है जिससे वादी को मतलब वो सरोकार नहीं है। वादी का वाद कालअवधि से ग्रसित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि वादी के वाद संख्या 642/94 अंदर धारा 106 बी० टी० एक्ट के तहत उक्त न्यायालय में ही

याचना की जानी चाहिए न की अन्य प्राधिकार में। वाद की भूमि प्रतिवादी को आपसी बटवारा से प्रतिवादी के हिस्से एवं दखल कब्जा मकानमय सहन के रूप में चला आ रहा है प्रश्नगत मौजा के खतियान का प्रकाशन वर्ष 1993 में ही हुआ।

दोनो पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के खेसरा संख्या 315 के हाल खतियान में सिर्फ प्रतिवादी प्रथम पक्ष का नाम दर्ज होने के बदले केवाला में दर्ज सभी छः (6) कंताओं की नाम दर्ज होने की माँग की गयी है। वादी द्वारा निबंधित केवाला, राजस्व रसीद, संयुक्त जमाबंदी संबंधी सूचना, ऑनलाइन हाल खतियान की प्रति संलग्न की गयी है प्रथम पक्ष द्वारा दावा किया गया है कि पुराने खेसरा 350 से और भी बहुत खेसरा बने है जिसका नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है जो सही प्रतीत होता है। प्रतिवादी पथम पक्ष द्वारा अपने दावा के समर्थन में हाल खतियान की छायाप्रति संलग्न की गयी है एवं इसे सही बताया गया है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा वादी के दावा का समर्थन किया गया है। वादी द्वारा पुराना खेसरा 350 रकवा 2 बीघा 16 धुर से दो नया खेसरा 315 रकवा 32 डि० एवं खेसरा 316 रकवा 67 डि० बनने की बात कही गयी है। परंतु दोनो नये खेसराओं के रकवा को मिलाकर कुल 99 डि० होता है जो कि पुराने खेसरा 350 के कुल रकवा 2 बीघा 16 धुर से कम है। इसका मतलब यह है कि पुराना खेसरा से इन दो खेसराओं के अलावे अन्य भी खेसरा बने होंगे जिसके बारे में वाद पत्र में कोई जानकारी नहीं दी गई है। संयुक्त जमाबंदी पुराने खेसरा एवं रकवा के आधार पर है जबकि कई नये खेसरे बन चुके है जिसकी खतियानी स्थिति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा खेसरा 316 का सभी कंताओं के नाम से हाल खतियान दर्ज होने की बात कही गयी है परंतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जबतक पुराने खेसरा से बने सभी नये खेसराओं की जानकारी, खतियानी स्थिति, यदि कोई खरीद बिक्री की गयी है तो उसकी जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है इस वाद पत्र पर निर्णय लेना संभव नहीं है। अतः वाद के अस्पष्ट होने एवं सक्षम साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल